ई-संदेश

10 जुलाई, 2025 | अंक 161

सात दिन – सात पृष्ठ

अयोध्या धाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया 37 करोड़ पौधों को एक ही दिन में रोपित करने के महाभियान का शुभारम्भ I

स्वयं सेल्फी लेकर जनता को प्रेरणा देते मुख्यमंत्री जी

- राज्य सरकार जापान के साथ मिलकर युवाओं को प्रशिक्षित करेगी : मुख्यमंत्री
- आम महोत्सव अन्नदाता किसानों के लिए औद्यानिक फसलों तथा तकनीक के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम :मुख्यमंत्री
- मण्डी परिषद किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्थाको गति देने वाले एक नए मॉडल के रूप में परिवर्तित हो: मुख्यमंत्री
- प्रदेश में आपदा जनित जनहानि को रोकने में अत्याधुनिक तकनीक प्रभावी सिद्ध हो सकती है : मुख्यमंत्री
- राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से आम जन का जीवन बदला है : मुख्यमंत्री
- वृक्षारोपण वर्तमान को संजोने तथा भविष्य को बचाने का एक अभियान है:मुख्यमंत्री
- पौधारोपण महाभियान
- मंत्रिपरिषद द्वारा 03 जुलाई, 2025 को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार जापान के साथ मिलकर युवाओं को प्रशिक्षित करेगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 04 जुलाई, 2025 को यहां उनके सरकारी आवास पर जापान के राजदूत श्री केईची ओनो ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश और जापान के बीच तकनीकी सहयोग, निवेश, युवाओं के कौशल विकास और पर्यटन जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जतायी।

जापान के राजदूत ने विगत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए सकारात्मक परिवर्तनों व विकास कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए एक भरोसेमंद और सकारात्मक वातावरण वाला राज्य मानती हैं।

बैठक के दौरान यह तय किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही जापान का दौरा करेगा। यह दौरा ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स व विशेष रूप से सेमीकंडक्टर तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी के अवसरों को तलाशने के लिए होगा। साथ ही, जुलाई माह के अन्तिम सप्ताह में आयोजित होने वाले विश्व एक्सपो, ओसाका में भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी और सेमीकण्डक्टर जैसे क्षेत्रों में जापानी निवेश और तकनीकी सहयोग का स्वागत करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार मेट्रो परियोजनाओं के अलावा शहरी गतिशीलता के अन्य आधुनिक मॉडल्स को भी अपनाने के लिए तैयार है।

बैठक में उत्तर प्रदेश के युवाओं के कौशल को विकसित करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें विशेष रुप से जापान में रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार जापान के साथ मिलकर युवाओं को प्रशिक्षित करेगी, ताकि वे वहां नौकरी के योग्य बन सकें। पर्यटन के क्षेत्र में भी दोनों पक्षों के बीच गहरा सहयोग स्थापित करने को लेकर सहमति बनी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का आध्यात्मिक केन्द्र है, जहां हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म व जैन धर्म से जुड़े अनेक ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। यह जापानी नागरिकों के लिए भी सहज आकर्षण का केन्द्र है।

जापान के राजदूत श्री केईची ओनो ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचे, सड़क और रेल नेटवर्क तथा हवाई सम्पर्क के क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह राज्य अब वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए सकारात्मक माहौल को जापानी कम्पनियों के लिए अत्यन्त लाभकारी बताया। बैठक के अन्त में दोनों पक्षों ने इस सहयोग को औपचारिक रुप देने और शीघ्र ही ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति जतायी।

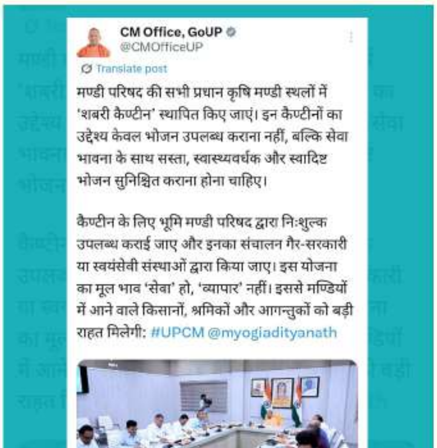

CM Office, GoUP
@CMOfficeUP
Translate post

मण्डी परिषद की सभी प्रधान कृषि मण्डी स्थलों में 'शबरी कैण्टीन' स्थापित किए जाएं। इन कैण्टीनों का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सेवा भावना के साथ सस्ता, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन सुनिश्चित कराना होना चाहिए।

कैण्टीन के लिए भूमि मण्डी परिषद द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए और इनका संचालन गैर-सरकारी या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाए। इस योजना का मूल भाव 'सेवा' हो, 'व्यापार' नहीं। इससे मण्डियों में आने वाले किसानों, श्रमिकों और आगन्तुकों को बड़ी राहत मिलेगी: #UPCM @myogiadityanath

आम महोत्सव अन्नदाता किसानों के लिए औद्यानिक फसलों तथा तकनीक के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम :मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री ने 04 जुलाई, 2025 को यहां अवध शिल्पग्राम में 06 जुलाई, 2025 तक चलने वाले तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2025 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2025 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन को धरातल पर उतारकर किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश के आम निर्यात को बढ़ावा देकर अन्नदाता किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह आम महोत्सव अन्नदाता किसानों के लिए आमों की विभिन्न प्रजातियों के उत्पादन, बाजार व निर्यात की उत्तम व्यवस्था, औद्यानिक फसलों तथा तकनीक के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम बनता जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बागवानों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश में लखनऊ, अमरोहा, सहारनपुर तथा वाराणसी में पैक हाउस सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन पैक हाउसों में औद्यानिक फसलों से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें निर्यात के लिए आम की गुणवत्ता तथा अन्य जानकारियां भी दी जाती हैं। आम के निर्यात में पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुरुप समस्त तैयारियां करायी जाती हैं।

प्रदेश के किसान व बागवान विपरीत मौसम व ग्लोबल वॉर्मिंग की चुनौतियों के बावजूद अपनी मेहनत तथा उन्नत तकनीक का प्रयोग कर इस दिशा में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के किसान नवाचार व कृषि आधुनिकीकरण का प्रयोग कर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। आम महोत्सव व प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों की मेहनत को भलीभांति देखा जा सकता है। किसानों द्वारा विभिन्न देशों में आमों का निर्यात किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। निर्यात के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आमों व अन्य उत्पादों की अच्छी कीमत प्राप्त होती है। प्रदेश के किसान विकास प्रक्रिया से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में लगातार योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेती के माध्यम से आमदनी में कई गुना वृद्धि करने में औद्यानिक फसल एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। हमें वैल्यू एडीशन के लिए फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की अनेक इकाईयाँ स्थापित हो रही हैं। कौन सी ऐसी फसलें हो सकती हैं, जो बागवानी के साथ-साथ की जा सके, इस पर हमें अभी से कार्य करना होगा। अदरक, हल्दी जैसी फसलें अतिरिक्त आमदनी कमाने का एक माध्यम हो सकती हैं। यदि हमारा अन्नदाता किसान व बागवान इसके लिए स्वयं को तैयार करेगा तो वह अपनी आमदनी में कई गुना वृद्धि करने में सफल होगा।

मण्डी परिषद किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था को गति देने वाले एक नए मॉडल के रूप में परिवर्तित हो: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फूल की खेती से जुड़े किसानों को बड़ी राहत देते हुए 'सभी प्रकार के फूलों' को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाकर गैर-विनिर्दिष्ट श्रेणी में रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि फूलों की ताजगी अल्पकालिक होती है और यह नाशवान प्रकृति का उत्पाद है। मण्डी तक लाने में समय लगने से फूलों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और किसान उचित मूल्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में किसानों को फूलों की बिक्री मण्डी के बाहर करने पर किसी भी प्रकार का मण्डी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यह निर्णय विशेष रुप से छोटे, सीमान्त और फूलों की मौसमी खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा सम्बल सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री जी 05 जुलाई, 2025 को यहां अपने सरकारी आवास पर राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश के संचालक मण्डल की 171वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद अब फूल की खेती करने वाले किसानों को मण्डी परिसर से बाहर व्यापार करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, जबकि मण्डी परिसर में उनसे मात्र प्रयोक्ता शुल्क लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मण्डी परिषद केवल एक संस्थागत निकाय नहीं, बल्कि किसानों के आत्मसम्मान, अधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि मण्डियों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जहां किसान सुविधाजनक, सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से अपनी उपज का विक्रय कर सके। उन्होंने मण्डियों को उत्तरदायी, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाते हुए इन्हें राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री जी ने मण्डी परिषद की सभी प्रधान कृषि मण्डी स्थलों में 'शबरी कैण्टीन' स्थापित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन कैण्टीनों का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सेवा भावना के साथ सस्ता, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन सुनिश्चित कराना होना चाहिए। कैण्टीन के लिए भूमि मण्डी परिषद द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए और इनका संचालन गैर-सरकारी या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाए। इस योजना का मूल भाव 'सेवा' हो, 'व्यापार' नहीं। इससे मण्डियों में आने वाले किसानों, श्रमिकों और आगन्तुकों को बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मण्डी परिषद को केवल व्यवस्थागत सुधारों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था को गति देने वाले एक नए मॉडल में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार इस परिवर्तन के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार नई मण्डियों की स्थापना की जाए और इसके लिए पी0पी0पी0 मॉडल पर संभावनाएं तलाश कर योजनाएं बनाई जाएं।

प्रदेश में आपदा जनित जनहानि को रोकने में अत्याधुनिक तकनीक प्रभावी सिद्ध हो सकती है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 07 जुलाई, 2025 को यहां उनके सरकारी आवास पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार डॉ0 वी0 नारायणन ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान राज्य के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकों के माध्यम से विकास की नई संभावनाओं सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री जी ने इसरो के अध्यक्ष से चर्चा करते हुए राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से हो रही जनहानि पर गहरी चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश के लिए पृथक उपग्रह विकसित किया जाए, जो विशेष रूप से आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी देने में सक्षम हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में राज्य में बिजली गिरने की घटनाओं में औसतन 300 लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे में प्रदेश में आपदा जनित जनहानि को रोकने में यह अत्याधुनिक तकनीक प्रभावी सिद्ध हो सकती है। मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर इसरो के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि वह इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और शीघ्र ही इसका ठोस समाधान निकालने की दिशा में कार्य करेंगे।

इसरो के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जी को रिमोट सेंसिंग क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौसम पूर्वानुमान, वन और हरित क्षेत्र की निगरानी, भूजल प्रोफाइल, मानचित्रण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर पहले से ही व्यापक कार्य हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती 06जुलाई, 2025 के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी

राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से आम जन का जीवन बदला है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रदेश ने सतत विकास के हर क्षेत्र में ठोस प्रगति की है। यह उपलब्धि केवल स्कोर का मामला नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले परिवर्तन की पुष्टि है। मुख्यमंत्री जी 08 जुलाई, 2025 को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में वैश्विक मानकों पर आधारित सतत विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, जैसे हर घर जल योजना, हर घर बिजली योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, मिशन शक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन कायाकल्प और ओ0डी0ओ0पी0 ने एस0डी0जी0 लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर साकार करने में निर्णायक भूमिका निभायी है। इन योजनाओं के माध्यम से आम जन का जीवन बदला है तथा व्यवस्था में भरोसा बढ़ा है।

मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर बेटियों की शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा-सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे अभियानों ने सामाजिक चेतना को नई दिशा दी है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच और ग्रामीण इलाकों में पोषण संबंधी सुधारों का भी विशेष उल्लेख किया गया।

बैठक में यह जानकारी भी दी गयी कि वर्ष 2018-19 में 42 अंकों के साथ 'परफॉर्मर' श्रेणी में शामिल उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2023-24 तक 25 अंकों की वृद्धि के साथ 67 का स्कोर हासिल कर 'फ्रंट रनर' राज्यों की श्रेणी में प्रवेश किया है। वर्ष 2018-19 में एस0डी0जी0 इण्डेक्स में 29वें स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश वर्ष 2023-24 में 18वें स्थान पर आ गया है। यह प्रगति इस अवधि में किसी भी राज्य द्वारा प्राप्त सबसे बड़ी छलांग है। एस0डी0जी0 इण्डिया इण्डेक्स में किसी एक राज्य द्वारा किया गया यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह नीतिगत स्पष्टता, योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन और व्यापक जनसहभागिता का परिणाम है।

वृक्षारोपण वर्तमान को संजोने तथा भविष्य को बचाने का एक अभियान है:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 09 जुलाई, 2025 को जनपद गोरखपुर में वृहद वृक्षारोपण अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' के अन्तर्गत पौधरोपण कर 'पवित्र धारा वन' की स्थापना की। इस अवसर पर उन्होंने किसानों एवं अन्य लोगों को पौधों का वितरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि ' यह केवल एक वृक्षारोपण का कार्य मात्र ही नहीं, बल्कि वर्तमान को संजोने तथा भविष्य को बचाने का भी एक अभियान है। वर्तमान में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के भीषण संकट से गुजर रही है। वर्तमान में अनेक चुनौतियां दुनिया के सामने आ रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस मौसम में पहले मूसलाधार वर्षा हुआ करती थी, लेकिन अब मौसम चक्र बदलता हुआ दिखायी दे रहा है। इन चीजों का असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ रहा है। यह परिवर्तन मानव की अनियोजित और अवैज्ञानिक सोच का परिणाम है जिसकी कीमत आज पूरा विश्व और मानव जाति भुगत रही है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशवासियों के समक्ष जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए सुनियोजित प्रयास हेतु कुछ लक्ष्य तय किए थे। आज उसी के परिणामस्वरुप पूरे देश में एवं पूरे उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश ने 05 लाख हेक्टेयर में वनाच्छादन को बढ़ाया है।विगत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। यह देश में किसी भी राज्य द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में सर्वाधिक है। इस प्रयास के कारण ही देश में वनाच्छादन बढ़ाने में उत्तर प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभायी है। यह अभियान धरती माँ तथा अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार ने 37 करोड़ वृक्षारोपण एक दिन में करने का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच प्रदेश में मात्र 26 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। विगत 08 वर्षों में ही प्रदेश में 204 करोड़ वृक्षारोपण किए गए। प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से सर्वे कराने के बाद यह बात सामने आयी कि इन पेड़ों में से 75 प्रतिशत से अधिक पेड़ आज भी जीवित हैं। यह पेड़ आज प्रदेश में वनाच्छादन बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान में एक विस्तृत कार्ययोजना बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस कार्य से जहां एक तरफ हम धरती माँ के प्रति अपने कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की आय को भी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जिस किसान ने भी 05 वर्ष तक अपने खेत की मेड़ पर लगाए गए वृक्ष को सुरक्षित रखा है, तो 05 वर्ष के बाद आकलन एवं रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात उस किसान को प्रति पेड़ 06 डॉलर का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। इससे किसान को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो रही है। गत वर्ष प्रदेश सरकार ने 25 हजार किसानों को लगभग 32 लाख रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की थी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा पुनरुद्धार की गई नदियों के तट पर, एक्सप्रेस-वे एवं सर्विस लेन के बीच एवं अमृत सरोवरों के पास वृक्षारोपण कराने का लक्ष्य तय किया गया है। आज यह कार्य बहुत ही उत्साह के साथ किया जा रहा है। अयोध्या में भारी बारिश के बाद भी हजारों लोग इस अभियान से जुड़े। आज गोरखपुर में चिलुआताल के इस स्थान पर भी यह कार्य सम्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि चिलुआताल का भी रामगढ़ताल की तरह पुनरुद्धार किया जाएगा।

पौधारोपण महाभियान

मुख्यमंत्री ने अयोध्या के किष्किन्धा वन में त्रिवेणी वाटिका की स्थापना कर 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' पौधरोपण महाभियान का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने जनपद आजमगढ़ में 'एक पेड़ माँ के नाम-2.0' वृक्षारोपण महाअभियान-2025 के अन्तर्गत जनपद के 60 लाखवें पौधे (हरिशंकरी) का रोपण किया।

मंत्रिपरिषद द्वारा 03 जुलाई, 2025 को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे का व्यय-वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत 4775.84 करोड़ रुपये की धनराशि से ई0पी0सी0 मोड पर निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया है।
  ज्ञातव्य है कि इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (चैनेज 294+230) भलिया ग्राम से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के (चैनेज 6+350) पहांसा ग्राम तक प्रवेश नियंत्रित लिंक एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। एक्सप्रेस-वे की कुल लम्बाई 49.960 कि0मी0 है। एक्सप्रेस-वे का निर्माण 6-लेन चौड़ाई (8-लेन तक विस्तारणीय) में किया जाएगा। सभी संरचनाएं 8-लेन चौड़ाई हेतु निर्मित की जाएंगी।

- मंत्रिपरिषद ने बुन्देलखण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया (प्रिपरेशन एण्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) विनियमावली-2025 के अंग्रेजी एवं हिन्दी की विधीक्षित अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कराकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बीडा को निर्देशित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने सभी सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गाँधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम द्वारा उत्पादित वस्त्रों को पूर्व प्रचलित क्रय अनिवार्यता की व्यवस्था की अवधि को 31 मार्च, 2028 तक निर्धारित शर्तों के अधीन बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से पूर्व सैनिकों एवं होमगार्ड्स की सेवाएं जेम पोर्टल से इतर/सीधे लिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नियोक्ता विभागों (यथा-सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थाओं आदि) को यह विकल्प होगा कि वे जेम के माध्यम से अथवा जेम पोर्टल से भिन्न, उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से सीधे सुरक्षा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

मंत्रिपरिषद द्वारा 03 जुलाई, 2025 को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने अयोध्या एवं समीपवर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अयोध्या में एन0एस0जी0 हब की स्थापना हेतु गाटा संख्या-17 एवं 22 क्षेत्रफल 08 एकड़ भूमि स्थित छावनी गौरा बारिक 'कैण्टोनमेण्ट क्षेत्र अयोध्या' परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जनपद-अयोध्या को 99 वर्षीय लीज पर गृह विभाग, भारत सरकार के पक्ष में कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा प्रभावी जिलाधिकारी, सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुए निःशुल्क आवंटित/अन्तरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के स्थल का सदुपयोग कर जनोपयोगी बनाए जाने तथा परियोजना में प्राधिकरण की 500 करोड़ रुपये की भूमि का मूल्य अन्तर्निहित होने के दृष्टिगत इसके रख-रखाव व संचालन हेतु त्रिस्तरीय जे0पी0एन0आई0सी0 सोसाइटी को भंग करते हुए यथास्थिति केन्द्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दे दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार की समेकित वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम-IFMS) के उन्नयन हेतु इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की वैज्ञानिक संस्था-सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (C-DAC) को नामांकन के आधार पर अनुबन्धित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। प्रस्तावित व्यवस्था से बजट प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित किए जा सकेंगे, जिससे समय व कागज की बचत होगी।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन हेतु यथावश्यकता नियम/विनियम बनाए जाने/संशोधन किए जाने आदि के लिए निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

मंत्रिपरिषद द्वारा 03 जुलाई, 2025 को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

» मंत्रिपरिषद ने डॉ0 के0एन0 मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 की धारा-7, उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिनियम के संशोधन के माध्यम से उपधारा (3) में वर्णित अनुसूची-2 में उल्लिखित अन्तिम विश्वविद्यालय के नीचे अगले क्रमांक में रखे जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार उ0प्र0 निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 में संशोधन हेतु उ0प्र0 निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2025 के विधीक्षित अंग्रेजी एवं हिन्दी आलेख्य को प्रख्यापित कराए जाने तथा उसके प्रतिस्थानी विधेयक के आलेख्य पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर उसे राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित/पारित कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।

» मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक-2025 के आलेख को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजस्व में वृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे में परिवर्तन किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 की धारा-4 एवं 9 में यथापेक्षा संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम-2025 का प्रख्यापन प्रस्तावित है।

प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा शासकीय राजस्व में अभिवृद्धि किए जाने के प्रयोजनार्थ परिवहन यानों में किराये तथा पारितोषिक (Hire or Reward) पर संचालित दो पहिया, तीन पहिया मोटर कैब, चार पहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब, 7500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले माल वाहनों तथा निर्माण उपस्कर वाहनों एवं विशेष रुप से निर्मित वाहनों पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक करारोपण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए केवल एकबारीय कर व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।

इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम-1997 की धारा-4 एवं 9 में यथापेक्षा संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम-2025 को विधानमंडल से पारित कराए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।मंत्रिपरिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर आज अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

» मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

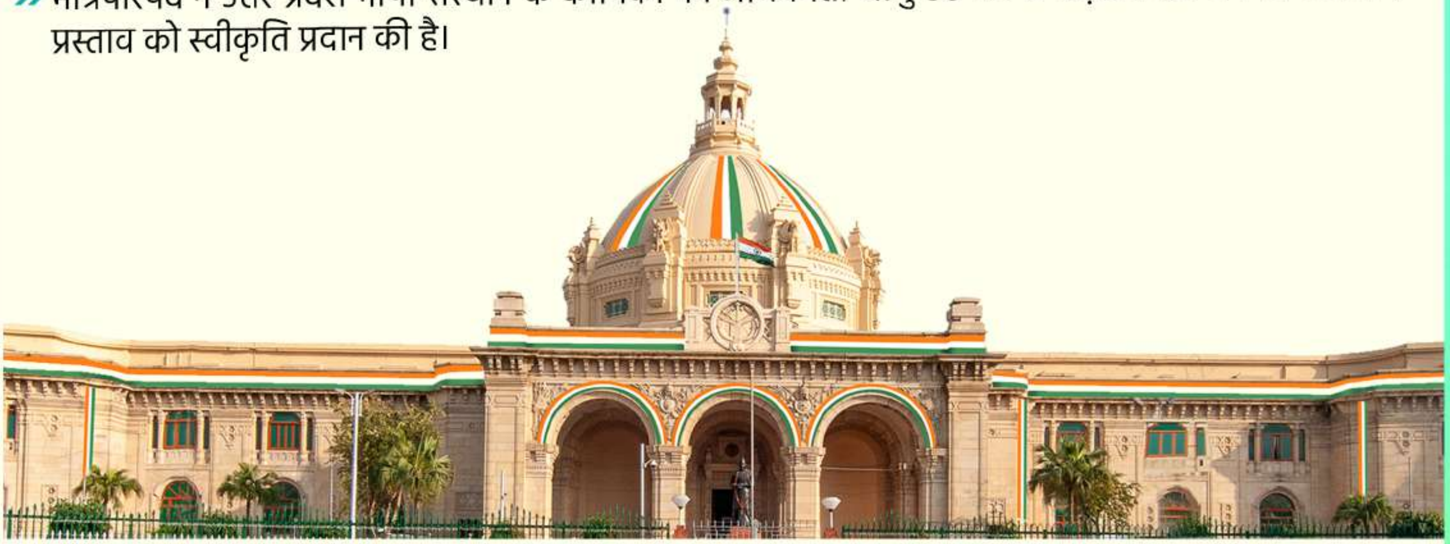

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित